[Shri H. R. Bhardwaj]

to the future generation of his country. I assure you that Indian National Congress —which I represent-has always stood with these weaker sections. Wherever there is atrocity on Harijans, we have moved out and protected them and we will sincerely do that again. I request the hon. Member to withdraw his Bill and we will carry out the suggestions.

SHRI N. RAJANGAM: My only intention to bring this Bill was against social discrimination, against economic exploitation by communal institutions, and particularly in the local administration of the local body institutions in the villages, against the social bigot, social injustice and tyranny. In this connection, I hope that a remedy will be found out and I get a hope from the speech of the hon. Minister for Law.

What I want from the hon. Minister is that there should be some circular or a Government order issued to protect the intesrests of Harijans in the panchayats and panchayati-raj institutions in future, and with that hope I withdraw my Bill.

I am thankful to the hon. Members of the House who have given great support to my Bill and I am also thankful to the hon. Law Minister for his explanation in detail. I beg leave to withdraw the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Bill?

(No hon. Member dissented)

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1985 (TO AMEND ARTICLE 324)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) पीठासीन हुए]

हमारा देश गुलाम था, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश ने आजादी की लड़ाई को लड़ा और अहिंसा के रास्ते चल कर 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी प्राप्त की। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल्पना थी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को छोटे से छोटे व्यक्ति को इस देश के शासन में भागीदारी का अधिकार होगा, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी चुनाव हुआ करते थे, लेकिन जब वह चुनाव होते थे तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। लेकिन जब हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें उस बात का भी प्रावधान किया गया कि इस देश में 21 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा की की आयु के जितने भी लोग है उनको वोट देने का अधिकार होगा। इस देश के राष्ट्रपति का भी एक वोट होगा और इस देश के गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर वर्ग के व्यक्ति का भी एक ही वोट होगा। इसलिए इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई और हमारे संविधान में भी कहा गया कि हमारा देश लोकतांत्रिक प्रणाली पर गणतंत्र के आधार पर चलाया जाएगा और जब संविधान बन रहा था उस समय किस प्रकार से हमारे देश में लोक सभा के चुनाव होंगे, किस प्रकार से विधान सभाओं के चुनाव होंगे और किन लोगों के हाथ में इन चुनावों को कराने का प्रबन्ध होगा, इन सारी बातों की व्याख्या की गई। इसके बाद मान्यवर, सन् 1952 से लेकर आज तक आठ बार लोक सभा के चुनाव हो चुके हैं। 1952 में हुए, 1957 में हुए, 1962 में हुए, फिर 1967 में हुए, 1971 में हुए, 1977 में हुए, 1980 में हुए और अंतिम बार चुनाव 1984 में हुए। इस प्रकार हमारा देश भारतवर्ष इस संसार का सब से सफल और सब से वृहत लोकतांत्रिक राज्य है और हमारे यहां जो व्यवस्था है जिसके लिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट आफ पीपुल फार दी पीपुल एंड बाय दी पीपुल। इसलिए जब संविधान बनाया गया तो उसमें इस बात का भी प्रावधान

किया गया कि आखिर किन लोगों के हाथ में विधान सभा या लोक सभा चुनाव कराने का काम दिया जाए, किनके हाथ में इस काम को सुपुर्द किया जाए। संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में अनुच्छेद 324 में इस बात का प्रावधान किया कि एक चुनाव आयोग होगा जिसके निरीक्षण में और जिसके निदेश में स्वतंत्र भारत की विधान सभाओं के और लोक सभा के चुनाव कराए जायेगें। इसलिए मैं अनुच्छेद 324 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धारा एक में कहा गया है। "इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक विधान-मण्डल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया।"

उपधारा दो में कहा गया है: "निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।"

उपधारा तीन में कहा गया है: "जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।"

तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में एक कल्पना थी कि आज हम 1949 में संविधान को पारित कर रहे हैं और 1952 से इस संविधान के अंतर्गत पहला चुनाव होने जा रहा है लेकिन उनके दिमाग में भविष्य की भी कल्पना थी कि हो उकता है कि ऐसा समय आये जबकि केवल एक निर्वाचन आयोग से काम न चल सके और इसलिए संविधान में ही इस बात की व्याख्या की गई थी कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो जितनी भी संख्या निर्धारित हो उसके हिसाब से भी निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। उसमें इस बात की भी व्याख्या की गई थी कि इस संबंध में संसद कानून या अधिनियम बनायेगी, हालांकि आज तक इस संबंध में कोई भी कानून या अधिनियम बनाया नहीं गया है।

और इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस संबंध में निश्चित रूप से सरकार को कोई भी कानून या अधिनियम बनाना चाहिए। अनुछेच्द 124 में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गयी है और उसमें इस बात की व्याख्या की गयी है कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 सर्वोच्च न्यायालय के जज होंगे और उसके अंतर्गत नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। लेकिन पहली मर्तबा सन् 1950 में केवल 8 की संख्या रखी गयी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। लेकिन धीरे-धीरे बराबर उसमें वृद्धि की गयी। कई बार संशोधन किए गए और उसके बाद नियमित रूप से आज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 17 हो गयी है, यदि ठीक मुझे स्मरण है तो मैं इस बात की ओर आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि इन्हीं प्रावधानों को देखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 124 (1) (2) (3) को अंकित किया था या लिखा था।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, आज तक केवल एक चुनाव आयुक्त को लेकर इस देश के सारे चुनाव सम्पन्न कराये जा रहे है और कल भी इस माननीय सदन में इस पर काफी बहस हुई, काफी चर्चा चली चुनाव सुधार को लेकर और उसमें भी इस विषय में हमारे माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की, अपनी मूल्यवान रायें इस सदन को दीं। मान्यवर, सन् 1972 में लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त समिति बनी थी और उस संयुक्त समिति ने सन् 1972 में अपनी रिपोर्ट सरकार के

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

पास भेज दी थी। मैं आपकी अनुमति से उसका उद्धरण पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वह इसी संबंध में है :

"The elections have become a continuing process entailing enormous work on the Election Commission. The immensity of the task of the Election Commission and the complexities of the duties, it is called upon to discharge are too obvious and do not require any elaboration. It is too great a burden for a single person to exercise supervision, direction and control over elections effectively and consequently he is likely to be exposed to charges of arbitrariness and partiality. The Committee, therefore, recommend that the Election Commission should be a multi-member body as provided in article 324 (2) of the Constitution.

While the decision about the exact number of Election Commisioners necessary to assist the Chief Election Commissioner in the performance of his duties may be left to the Government to determine, the Committee consider that an enlarged Commission will be able to discharge more effectively the responsibility relating to elections and in its exercise of its quasi-judicial functions, a broad-based Commission is likely to reach reasonably acceptable dciisions and command respect."

और उस कमेटी ने अपना तर्क भी दिया था कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में इस देश के चुनाव के काम को नहीं छोड़ना चाहिए और देश के संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षा थी, उसकी पूर्ति करना चाहिए। इसमें इस बात का भी प्रावधान है कि जो इलेक्शन कमिशनर है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो वर्तमान प्रावधान है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति जो भी काम करता है, वह जो हमारा केन्द्रीय मंत्री परिषद् है उसकी सलाह से करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो चुनाव आयुक्त हैं वह कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स का अपायण्टी हुआ क्योंकि कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स ने जो नाम राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया, उस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। इस संबंध में इस देश के अनेक विधिवेत्ताओं ने और लोकनायक जय प्रकाश नरायण जी ने स्वयं इस बात का सुझाव दिया था और जस्टिस तारकुण्डे के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और जस्टिस तारकुण्डे ने भी इस संबंध में काफी विस्तार से चर्चा की है कमेटी में और उसके बाद उन्होंने संस्तुति की है कि यह कोई नयी संस्तुति हम नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत में जो संविधान निर्माता थे, उनकी इच्छा थी और उनकी इच्छाओं का पालन चूंकि आज तक नहीं हुआ है, इसलिए यह संस्तुति की है कि कई चुनाव आयुक्त इस देश में नियुक्त किये जाएं और साथ-साथ उनकी नियुक्ति की जो प्रणाली है, उसमें भी परिवर्तन किया जाए। क्योंकि चुनाव निष्पक्ष, शुद्ध और स्वतंत्र वातावरण में होने चाहिएं।

इस देश की जनता के मन में विश्वास होना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में हो रहे हैं। इसलिए मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं केवल एक घटना की ओर जो अभी हाल की घटना है। मान्यवर, एक छोटा सा प्रदेश है, हरियाणा वहां विधान सभा की 90 सीट हैं। एक सीट है भारदा, दूसरी है जूंडला, तीसरी सीट है आदमपुर तथा चौथी है तोशम। भारदा की सीट डेढ़ साल पहले रिक्त हो गई थी। जो वहां की निर्वाचित सदस्या थीं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद उसे विधान सभा के अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया था और यह सीट रिक्त भी घोषित कर दी गई थी। इसके बाद एक स्टेज में चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई कि भारदा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से वह चुनाव स्थगित कर दिया गया। उसके बाद गत वर्ष जब पंजाब के चुनाव हुए तो जो माननीय सदस्य जूंडला आरक्षित सीट से थे वे पंजाब विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो गए। इसलिए जूंडला आरक्षित सीट से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। साल भर से अधिक हो रहा है, यह सीट खाली चल रही है। तीसरी सीट से हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री,

आदमपुर सीट से विधान सभा के सदस्य थे लेकिन जब राज्यसभा के लिए चुने गए अगस्त 1986 में तो, जैसा कि नियम है, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा और विधान सभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने आदमपुर की सीट छोड़ दी। वह राज्य सभा के सदस्य बन गए और फिर एक महीना हुआ हरियाणा के मुख्य मंत्री बना कर भेजे गए। लेकिन चूंकि वह विधान सभा के सदस्य नहीं थे इसलिए तोशम की सीट खाली हुई। वह सीट खाली हुए मुश्किल से तीन महीने हुये होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने इन तीन सीटों के चुनाव न कराकर, जिनका मैंने उदाहरण दिया कि डेढ़-दो साल से रिक्त चली आ रही है, केवल तोशम की सीट का चुनाव कराया गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह केवल एक विशेष व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए किया गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से अधिक सभा का सदस्य बने बिना किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री नहीं रह सकता। क्योंकि हरियाणा की विधान परिषद् नहीं थी, इसलिए सीट खाली कराई गई और वहां चुनाव कराया गया 23 नवम्बर को। लेकिन जिन तीन सीटों की चर्चा मैंने की वह रिक्त चली आ रही हैं। चुनाव आयोग की इस कार्यवाही ने उसकी निष्पक्षता पर सन्देह लगा दिया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति होती है उसी तरह का निर्णय इस सम्बन्ध में लिया जाना चाहिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाय। मैंने जो संशोधन रखा है उसके जो आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स हैं उस ओर भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के खण्ड (2), (3) में यह अधिकथित किया गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा, यदि कोई हों, तो, अन्य उतने निर्वाचन आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा उस लिए बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा निर्वाचन आयोग को मंत्रिमंडल ही नियुक्त करता हैं।

व्यवहार में निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय आयोग बन गया है। निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का नियुक्ति प्राधिकार मंत्रिमंडल के कार्यक्षेत्र और अधिकारिता के परे होना चाहिए और उनकी नियुक्तियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

हाल ही में चुनाव सुधारों की सार्वजनिक मांग की जाती रही है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के समस्त निर्वाचनों के संचालन की आत्यंतिक शक्ति का किसी एक व्यक्ति में संकेन्द्रण न तो न्यायसंगत है और न ही उचित। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के कार्यक्षेत्र के परे होनी चाहिए जिससे कि निर्वाचनों का संचालन स्वतंत्र, उचित और निष्पक्ष हो सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

मान्यवर, इस विधेयक के जरिये जो मैंने सुझाव दिये हैं उनमें एक तो मेरा सुझाव यह है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिल कर बनेगा और उस की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। जो वर्तमान नियम है उस के संबंध में रूल्स जरूर बने हुए हैं लेकिन उन में उस बात का प्रावधान नहीं है कि कौन सा व्यक्ति होगा, उस की क्या योग्यता होगी जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त हो सकता है। कोई भी सरकारी अधिकारी हो, जब वह अपनी सेवा से निवृत्त हो जाता है तो उस को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। वह चुनाव आयुक्त के रूप में काम करता है और जब वह वहां से सेवा निवृत्त हो जाता है तो उस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाता है। और इस लिये मैं ने इस विधेयक में

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

यह सुझाव दिया है कि खंड 3 में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और साथ-साथ इस बात की व्यवस्था की गयी है कि ऐसा ही व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाये जिसकी योग्यता हो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की। और इस संबंध में जस्टिस तारकुन्डे कमेटी बनी थी, उस ने सुझाव दिये थे, उन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कल उन की चर्चा की जा चुकी है।

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जब कंट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल के पद पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा हो रही थी और यह है अनुच्छेद 148 की उपधारा 4 में, उस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि उस में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति आडिटर जनरल के पद पर काम करने के बाद सेवा निवृत्त हो जायेगा उस के बाद उस को इस देश में कहीं भी किसी प्रकार के सरकारी काम में काम करने का अवसर नहीं दिया जाएगा और इसी लिये मैं 148 (4) की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस की उपधारा (4) में कहा गया है कि :

"The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either in the Government of India or in the Government of any State after he ceases to hold his office."

और इसी प्रकार जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उस का जो चेयरमैन होता है या जो सदस्य होते हैं उन के संबंध में भी संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया था जिस के बारे में अनुच्छेद 319(अ) में कहा गया है और उस में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि वह अपने इस पद से सेवा निवृत्त हो जाने के बाद उन को भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार में अगर चेयरमैन हों पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उस सरकार के अधीन कोई काम नहीं दिया जायगा। 319(अ) इस प्रकार है :

"Prohibition as to the holding of offices by members of Commission on ceasing to be such members.

On ceasing to hold office—

(a) The Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Government of India or under the Government of a State."

और इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ठीक इसी प्रकार का प्रावधान जिस व्यक्ति की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर की जाये या चुनाव आयोग के सदस्य के पद पर की जाये, उस के लिये भी किया जाना चाहिए और इसी लिये संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 324 में लिख दिया था कि देश की संसद् इस संबंध में कानून बनायेगी। लेकिन इस संबंध में आज तक देश की संसद् ने कानून बनाने का काम नहीं किया है और जैसा कि कल इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, इस देश के प्रधान मंत्री जी ने भी 1984 में चुनाव के ठीक बाद देश की जनता को आश्वासन दिया था कि वह देश में जो चुनाव कानून है उस के संबंध में देश में जो नियम चले आ रहे हैं उन में संशोधन करने का काम करेंगे जिससे कि लोगों के मन में विश्वास जम जाये। यही कारण था जब राष्ट्रपति जी ने 1985 में संसद् के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में कहा था। प्रधान मंत्री जी ने संसद् के बाहर जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को इस देश की सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जोड़ा था और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात की चर्चा की थी। उस समय सारे देशवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि वास्तव में हमारे प्रधान मंत्री जी साफ-सुथरी सरकार चाहते हैं। उनकी यह मंशा है, यह इच्छा है कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव हों। कम से कम लोगों को ऐसा लगे कि वास्तविक रूप में इस देश में निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं। यदि अभी तक इस संसद् ने इस सम्बन्ध में नियम या कोई कानून नहीं बनाया है तो आज यह समय आ गया है जब

कि चुनाव आयोग के सम्बन्ध में जिसकी अनुच्छेद 324 में व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है उसका अनुपालन करते हुए कानून बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा देश बहुत बड़ा है---कन्याकुमारी से लकर कश्मीर तक फैला हुआ है। इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए केवल दिल्ली में बठा हुआ एक चुनाव आयोग सक्षम नहीं है। उनके लिए सारे देश में चुनाव कराना सम्भव नहीं है। इसलिए इस संविधान में भी इस बात की व्याख्या की गई थी कि बहुत से रीजनल कमिशनर हों। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चुनाव आयोग ने स्वयं जितने भी इस देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हैं और इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं 18 जून, 1985 को एक पत्र लिख कर सुझाव मांगे थे और अपने पत्र में यह लिखा था कि 15 जुलाई, 1985 तक सभी राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग के सुझाव हैं उन पर विचार करे और इसके अतिरिक्त और जो सुझाव देना चाहते हैं वह सारे सुझाव चुनाव आयोग के पास पहुंचाने का कष्ट करें। चुनाव आयोग ने इस बात की चर्चा इसलिए की थी कि 1984 के लोक सभा के चुनाव के आधार पर और 1985 में जो विधान सभा के चुनाव हुए उनके अनुभव के आधार पर इन राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे थे। जिस दल से मैं सम्बन्धित हूं उस दल ने 15 जुलाई, 1985 को चुनाव आयोग के पास काफी विस्तृत सुझाव लिखकर भेजे थे। सारे सुझावों की ओर जाने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता लेकिन मेरा जो संशोधन इलेक्शन से सम्बन्धित है और इस सम्बन्ध में लोकदल के जो सुझाव दिये गये थे उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 15 जुलाई के पत्र में लोकदल की ओर से सुझाव आयोग को कहा गया था :

"What we mean is that the Chief Election Commissioner|Commissioners, if the Commission has to be a multi-member Commission shall be appointed by the President under the advise of the Supreme Court of India which either collectively or through a Committee of Judges elected by the Judges of the Supreme Court for this purpose may recommend for such post or posts.

It may be noted here that consistent with the spirit of the proviso of sub-section 5 of article 324 of eligibility for making choice of the Chief Election Commissioner have to be restricted to one who is sitting or retired Judge of the Supreme Court or one who is eligible to be elevated as a Judge of the Supreme Court."

ये सुझाव इसलिए दिये गये थे कि लोग सरकारी नौकरियों में होते हैं, भले ही निष्पक्ष हों, भले ही स्वतंत्र हों, भले ही निर्भय हो कर काम करें लेकिन जिस प्रकार का विश्वास न्यायपालिका के लोगों पर है उस प्रकार का विश्वास आज इस देश की जनता को जो नौकरियों में हैं उन पर नहीं है। इसलिए ये सुझाव दिये गये थे। यह सुझाव दिया गया था कि इस पद पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए जिनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर नियुक्त होने की हो। इस सम्बन्ध में भी मैं चाहूंगा कि सरकार को विचार करना चाहिए। सारा देश चाहता है कि जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था और इससे पहले जो यहां पर गैर सरकारी विधेयक आया था उसमें भी उत्तर देते हुए हमारे विधि मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की थी...। हमारा देश बहुत बड़ा लोकतन्त्र है, सफल लोकतन्त्र है इस बात को हम सब लोग मानते भी हैं और मेरा जो विधेयक है इसका जो उद्देश्य है बहुत सीमित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो इच्छा व्यक्त की थी जिन इच्छाओं को संविधान में लिखा गया है मैं चाहता हूं कि केवल उनका आदर किया जाए लिखित रूप में कानून बना कर के इस सम्बन्ध में संशोधन किया जाए

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

और मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि इस सम्बन्ध में सदन का समर्थन मुझे प्राप्त होगा। हमारे एक दूसरे मित्र हैं माननीय सदस्य श्री चित बसु जी उन का भी एक गैर सरकारी प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में विचाराधीन है सदन में उनकी भी यही मंशा है कि इस विषय में संशोधन किया जाए और इसलिए मैं इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं कि पूरे सदन का समर्थन इस विधेयक को प्राप्त होगा।

The question was proposed

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र मालवीय जो ने जो गैर-सरकारी संविधान संशोधन विधेयक लाया है इन की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। भारतके संविधान के अनुच्छेद 324 खण्ड 2 और (3) में यह अधिकथित किया गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा यदि कोई हों, तो अन्य उतने निर्वाचन आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन आयोग मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है।

व्यवहार में, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग बन गया है।

निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्राधिकारी मंत्रिमंडल के कार्यक्षेत्र और अधिकारिता के परे होना चाहिये और उनकी नियुक्तियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

हाल ही में चुनाव सुधारों की सार्वजनिक मांग की जाती रही है। संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के समस्त निर्वाचनों के संचालन की आत्यंतिक शक्ति का किसी एक व्यक्ति में संकेन्द्रण न तो न्याय संगत है और न ही उचित। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के कार्यक्षेत्र के परे होनी चाहिये जिससे कि निर्वाचनों का संचालन स्वतंत्र, उचित और निष्पक्ष हो सके।

यह विधेयक उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के निर्माता कौन लोग थे ? आजादी की लड़ाई के सैनानी, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, टी० प्रकाशन्, श्री राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी और डा० अम्बेडकर और हिन्दुस्तान के जितने स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी थे जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया राष्ट्र की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी उन्होंने इस संविधान को बनाया। उन संविधान बनाने वाले लोगों ने इलैक्शन कमीशन बनाया और उसमें आर्टिकल 324 **(व्यवधान)** आपका कहना है कि इलैक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति भारत की केबीनेट से नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय लेकर करे। क्या वही बिलकुल न्याय और असली न्याय है जो मालवीय जी के सपने वाला न्याय है क्या वह न्याय दे सकेगा ? कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जो अपने पैर को खुद काटता हो। मालवीय जो वही काम कर रहे हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट दो। कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, कोई भगवान आसमान से उतरते हैं, क्या वे सीधे आसमान से उतरते हैं और सुप्रीम-कोर्ट की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर न्याय देने लगते हैं वे भी इसी समाज के रहने वाले हैं। भारत की जनता का

विश्वास किस पर है। जवाहरलाल नेहरु में, श्रीमती इंदिरा गांधी में, श्री राजीव गांधी में, श्री मोरारजी देसाई में, चौधरी चरण सिंह में या सुप्रीम कोर्ट के जजों में, यह सवाल है। आपका कहना है कि नहीं भारत की जनता का विश्वास उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में है। मैं इसको नहीं मानता हूं। आप कह सकते हैं मुझे चौधरी चरण सिंह पर विश्वास नहीं है, आप कह सकते हैं मोरारजी देसाई को बिल्कुल नहीं मानता हूं। पर मैं नहीं मानता हूं। भारत की करोड़ों करोड़ जनता का विश्वास भारत की संसद में है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : (आन्ध्र प्रदेश) : जब कोई वाकया होता है, इंसीडेंट होता है तो जुडीयिशल इन्क्वायरी क्यों कराते हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : रेड्डी जी आप मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत की जनता का विश्वास संसद में है, संसद के चुने हुए लोगों में है, श्री सत्य प्रकाश मालवीय में है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में है। जनता के चुने हुए नेताओं में है। इस संविधान को बनाया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन बनाया कितने मुबारकबाद की बात है कि हिन्दुस्तान में भी चुनाव आयोग के नेतृत्व में लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं, 1952 से आज तक, यहां तक कि एक बार आपको सत्ता मिली थी जो श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत में विधान सभाओं के चुनाव हुए, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुए। सत्ता की कुर्सी पर आने के बाद उनको एक सेकेण्ड यह विचार नहीं हुआ कि क्यों न इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस को बनाने की व्यवस्था कर दें जब हमें 4 साल का मौका मिला है। आज क्यों याद आती है आपको ? और आप कहते हैं न्यायाधीशों के विषय में। इसी उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ फैसला किया। क्या यह जनता की इच्छा है। हिन्दुस्तान के उच्चतम न्यायालय ने राजे रजवाड़ों के प्रिवीपर्स के समर्थन में फैसला किया, क्या यही जनता की चाह थी। बैंक रिफार्म्स हिन्दुस्तान में जितने हुए सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला किया, क्या यही जनता की इच्छा है। क्या लोकतंत्र में वोट देने वाली करोड़ों जनता की यही विल पावर है, यही विल है ? क्या उसकी यही विल है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण न हो, राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त न हो। जो हिन्दुस्तान की जनता की चुनी हुई संसद ने जनता के हित में कानून बनाये हैं, उन क्रांतिकारी और प्रगतिशील कार्यक्रमों के रास्ते में रोड़ा बना है हिन्दुस्तान का उच्चतम न्यायालय और आप बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय की। वह इलेक्शन कमीशन बनेगा। कैबिनेट और भारत के एक्जीक्यूटिव हेड पर इन्हें विश्वास नहीं है। चाहे वह एक्जीक्यूटिव हेड राजीव गांधी की कैबिनेट हो या मोरारजी देसाई की या चरण सिंह किसी पर इनको ट्रस्ट नहीं है। यह क्या लाजिक है, तर्क है ? चुनाव सुधारों की बात तो समझ में आती है। यदि आप कहते कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट कांस्टीटयुएंसीज का डीलिमिटेशन किया जाये कि इतने लाख पर इतने पार्लियामेंट मेम्बर बनाये जायें, चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों को, रिकग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त दलों को सरकार इलेक्शन के मिनिम एक्सपेंसेज दें यह बात तो समझ में आती है लेकिन यह बात समझ में नहीं आती आपकी, आखिर आप लोकदल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और आप इस तरह का लाजिक दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर हो वह चीफ जस्टिस को दे दी जाये... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आपने पढ़ा है कि वह मैंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को **(व्यवधान)** पावर दी जाये... **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : जिसको कह रहे हैं राज्यपाल, वे तो चौधरी चरण सिंह की नाक के बाल थे यह मालूम है कि नहीं। नाक के बाल राम कृष्ण चतुर्वेदी जी थे। चौधरी चरण सिंह की नाक का बाल हिन्दुस्तान में कोई था तो उसका नाम

[श्री कल्पनाथ राय]

रामकृष्ण चतुर्वेदी था और वह उनके जमाने की सबसे बढ़िया पोस्ट पर थे। उनको हमने इलेक्शन कमिश्नर बनाया, गवर्नर बनाया। चौधरी चरण सिंह से अगर ऐसी बात करेंगे, तो कल पार्टी से निकाल दिये जायेंगे। समझ कर बात कीजिए, बिना जानकारी के बात मत कीजिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : जरा जम कर चमचागिरी कीजिए ताकि कुछ कल मिल जाएगा। ...**(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : हमारी भुजाओं में दम है, मैं भी पब्लिक वर्कर हूं, आप जानते हैं...**(व्यवधान)** मैं आपसे बहस कर रहा हूं। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, मालवीय जी ने और आपने भी जितना राम कृष्ण जी का चौधरी चरण सिंह ने उनको होम सेक्रेटरी बनाया था, जब वह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के और हर बात के लिए राम कृष्ण जी, राम कृष्ण जी, राम कृष्ण जी, पूरे लोक दल की सरकार के–मानो राम कृष्ण की सरकार थी और जब वह यहां प्रधान मंत्री बने, तो सब से बड़ी पोस्ट पर राम कृष्ण को बिठाया। यह कहिए कि श्रीमती गांधी के मन में कोई बदले की भावना नहीं थी। वह सत्ता में आई, तो कभी उन्होंने आपको रस्सा नहीं बंधवाया, कोई बदला नहीं लिया, कोई कमीशन नहीं बनाया क्योंकि लोकतंत्र का दिया बुझ जाएगा, लोकतंत्र का चिराग गुल हो जाएगा और हम लोग एक दूसरे को बेईमान कहेंगे। मैं कहता हूं कि राजनैतिक व्यक्ति से ज्यादा ईमानदार हिन्दुस्तान की धरती पर कोई नहीं होगा, न कोई नौकरशाह हो सकता है, और न कोई जज हो सकता है। जज ने कौन सी सेवा की है जी? कोई जो जज बन जाता है, कोई जज है बताइये जिसने कोई सामाजिक सेवा की हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जगमोहन लाल ..... **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : कोई नहीं जगमोहन लाल ... **(व्यवधान)**

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : वह तो पटा लिया था ...**(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : तुम जगमोहन की बात करते हो, जिसने पूरे हिन्दुस्तान को डी–स्टेबेलाईज़ करने की कोशिश की। ....**(व्यवधान)**

श्री एच० आर० भारद्वाज : उसकी बातें फिर करेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : जगमोहन बनाया गया था हाई कोर्ट का जज चन्द्रभान गुप्त के रेकोमेंडेशन पर हमेशा हाई कोर्ट के जज बनते हैं चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर और चीफ मिनिस्टर के घरों पर बहुत से वकील दिन-रात हाथ जोड़ कर लाईन में खड़े रहते हैं कि हमको जज बना दीजिए, हमको जज बना दीजिए, पैर छूते, दांत निपोरते, हाथ जोड़ते मैंने चौधरी चरण सिंह के घर पर देखा है। मैंने इसे हर मुख्य मंत्री के घर-पर, राम नरेश यादव के घर पर भी देखा है। सत्य प्रकाश मालवीय जी आप मंत्रीमण्डल के सदस्य रहे हैं, आपके घर पर भी मैंने देखा है जज बनने वाले की सिफारिश करते हुए।

राममूर्ति के कहने पर चंद्रभान गुप्त ने उसको जज बना दिया। चन्द्रभान गुप्त की सिंडीकेट-विंडीकेट की लड़ाई थी ... **(व्यवधान)** सुनिये और इंदिरा गांधी यह जानते हुए कि यह जज जो है सो० बी० गुप्त का बनवाया हुआ है, लेकिन न्यायपालिका आपकी ही तरह, न्याय-पालिका दुनिया की निगाह में बहुत बड़ी है, न्यायपालिका को सम्मान देने की गरज से भारत की प्रधान मंत्री हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय चली गई। अगर नहीं चाहती इन्दिरा गांधी, तो नहीं जाती, कहती कि यहां आओ, हमसे जो गवाही लेनी हो, लो, लेकिन उनका बड़प्पन था कि न्यायपालिका को ऊंचा दिखलाने के लिए दुनिया की निगाह में, हाई कोर्ट चली गई और वाह रे, उस न्यायपालिका का जज...**(व्यवधान)** हां मैं कह रहा हूं ...**(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह क्या ....(**व्यवधान**)

श्री एच० आर० भारद्वाज : उस जज को तो दुनिया जानती है।...(**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : आपने ही कह दिया .... (**व्यवधान**) जगमोहन का नाम क्यों लिया आपने ... (**व्यवधान**) जिसने इन्दिरा गांधी का ...(**व्यवधान**) बहुत ईमानदार है क्या? ...(**व्यवधान**)

श्री राम नरेश कुशवाहा : फैसले का ...(**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : आपके पक्ष में फैसला किया, इसलिए ईमानदार है। मैं आपसे कहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान की राजनीतिक पोलिटिकल स्थिति को एकदम झकझोर कर पूरे देश को जो डी-स्टेबेलाईज़ करने की कोशिश की, उसको कहते हैं ईमानदार है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नीति वह बनायें, सिद्धांत वह बनायें कि चाहे प्रधान मंत्री हों राजीव गांधी, या प्रधान मंत्री सत्य प्रकाश मालवीय हों—देश के लिए एक चीज चले, एक नियम चले, एक सिद्धांत चले, एक कानून चले। हम आंख मूंद कर तेली के बैल की तरह यहां बहस कर दीजिएगा, तो उसे मैं स्वीकारूंगा ... (**व्यवधान**) मैं इनवाइट करता हूं कि आप बहस कीजिए।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, राम नरेश जी आप एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, मालवीय जो भी एक समाजवादी विचार के व्यक्ति हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब जो सुधार है, हिन्दुस्तान के जो पोपल्ज़ बिल के रेप्रेजेन्टेटिव हैं भारत की संसद, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य, यह भारत की जनता के, पीपल्ज़ बिल के प्रतीक हैं, प्रधान मंत्री और उनके कैबिनेट के लोग वह लोग ईमानदार नहीं है और मैं मान लूं कि चीफ जस्टिस या जस्टिस कोई ईमानदार है।

मैं आपके सामने कहता हूं कि आप याद कर लेना, अगर मेरे बीच में चुनाव करना हो एक मामूली कार्यकर्ता है, ब्लाक स्तर का कार्यकर्ता है और इंडिया गवर्नमेंट का सेक्रेटरी इन दोनों के बीच में किसको आप वोट दोगे? तो कल्पनाथ राय उस वर्कर को वोट देगा। अगर वोट देना है ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच में तो, as a political leader, I vote for block worker and not for judge. कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आता है अपनी जिन्दगी की कितनी कंटकाकीर्ण राहों को पार करके आता है। और अपनी बीवी-बच्चों के हितों का बलिदान करके आता है। राम नरेश कुशवाहा जी कितने बलिदानों के बाद मैम्बर पार्लियामेंट बने हैं किसने तुम्हारे जितना बलिदान किया है और किस ब्यूरोक्रैट ने तुम्हारे जितना बलिदान किया है मुझे मुकाबला करना हो चीफ इलैक्शन कमिश्नर और आपके बीच में तो मैं आपके साथ हूं, और किसी ब्यूरोक्रैट में और आपके बीच में तो मैं आपके साथ हूं। यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज और आपके बीच में तो भी मैं आपके साथ हूं। राजनीति करते हो वकालत करोगे नौकरशाहों और जजों की और कहो कि पीपुल्ज के रिप्रेजेंटेटिव को पावर न दी जाए इस बहस से क्या हिन्दुस्तान बनने वाला है? आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए जो यह निरर्थक अमैंडमेंट है मालवीय जी का, मैं समर्थन करता हूं लेकिन क्या ग्रसित भावनाएं हो गई है और ये चुनाव सुधार की बात करते हैं। मोहसिना किदवई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। राम नरेश यादव चुनाव लड़ रहे थे संविद सरकार में और श्री सत्य प्रकाश मालवील उस कैबिनेट के मंत्री थे, एक-एक मिनिस्टर बूथों पर कब्जा करके एक एक वोट अपने साथ से डाल रहा था, राम नरेश यादव वह मोहसिना किदवई जी कैबिनेट की मंत्री है, बताए, जो मैं यह बात कर रहा हूं वह सहसी है या नहीं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : यह मैं ही बता दूंगी कि वहां क्या हुआ।

श्री कल्पनाथ राय : संविद सरकार के मंत्री, जनता पार्टी के मंत्री बूथों पर कब्जा करके अपने हाथ से ठप्पे मार कर वोट डाल रहे थे राम नरेश यादव को जितवाने के लिए और मोहसिना किदवई को लाठियों से दौड़ाया और ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। आप बात करते है चुनाव सुधारों की? ...(**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या यह सही है?

श्री कल्पनाथ राय : हां यह सही है। प्रजातंत्र की बात करते हैं आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जवाहर लाल नेहरू ने कभी बूथ कैप्चर नहीं कराया है। इंदिरा जी ने हार जाना पसंद किया लेकिन बूथ कैप्चर नहीं करवाया। लेकिन चोधरी चरण सिंह जी कौन सा इलैक्शन बिना बूथ कैप्चर किए जीते 1952 से लेकर पार्लियामेंट के अंतिम चुनाव तक जिसके क्षेत्र में हजारों लाखों हरिजनों ने मतपत्र का मुंह नहीं देखा। उनकी वकालत करते हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह असत्य है। ...(**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : बैलट पेपर तक नहीं देखा वहां पर बागपत पार्लियामेंट्री कास्टीटूएंसी जहां से चौधरी चरण सिंह जी जीते है। ...(**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मोहसीना जी वहां से जीती है ...(**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : वहां से नहीं जीती हैं, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। यहां मेरठ से जीती है। (**व्यवधान**) उपसभाध्यक्ष महोदय, खुले आम इनके हाथ में सत्ता आ जाए, ये कांग्रेस के लोगों को पोलिंग बूथ के नजदीक तक नहीं जाने देते यह मैंने खुद देखा है। हमारी पार्टी की एक महारानी थी, नाम मैं भूल जाता हूं, शायद इंद्र मोहिनी मुरादाबाद से से जनता पार्टी के लोगों ने उनको 25-30 लाठी मारी और वहां पूछित होकर गिर पड़ी और बूथ कैप्चर कर लिया। कहते हैं कि जनतंत्र ऐसे चलेगा। सत्य प्रकाश मालवीय जी आप कैबिनेट के सस्दय थे, थोंड़ा अपने गिरेबान में देखिए कि जनतंत्र कैसे चलेगा। जनतंत्र ऐसे नहीं चलता है। जनतंत्र चलता है मर्यादाओं से, वहां चलता है उन मर्यादाओं से कि आप प्रधान मंत्री हो तब भी मेरा सम्मान हो, इस दल के प्रधान मंत्री हो तब भी आपका सम्मान हो। आपका सम्मान कम नहीं हो। कुछ मूल्यों पर जनतंत्र चला करता है। लेकिन आप ऐसा बिल लाये हैं, अगर कोई लोक दल का एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो कि यहां मैम्बर पार्लियामेंट है जे० पी० गोयल अगर वह इस तरह का कोई फूर्खतापूर्ण बिल लेकर आते तो मेरी समझ में बात आती, क्योंकि यह वकील से एम० पी० बना है इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जनता का नौकर नहीं हैं इसने कोई कुर्बानी नहीं की है। यह मूर्ख टाइप का आदमी है, यहां ला दिला। लेकिन जो आदमी जेलों में समय बिताया हो, हिमालय बचाओ, समाजवाद लाओ, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ के सवाल पर जो व्यक्ति जेलो में रहा हो, जिसने जिंदगी काटी हो जेलो में, वह कैसी बात करता है। यह रामनरेश कुशवाहा जी, सत्यप्रकाश मालवीय जी जैसे लोग यह कह रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ से छीन कर जज को दे दिया जायें। आप बताओ हिन्दुस्तान की जुडिशियरी का इतिहास, जिसमें एक जजमेण्ट भी जनता के हित में दिया हो हिन्दुस्तान की न्यायपालिका ने...(**व्यवधान**) बताओ कौनसा दिया है? बताते क्यों नहीं?

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं जब भी जनता के बड़े-बड़े सवाल हिन्दुस्तान के उच्चतम न्यायालय के सामने आये तो उच्चतम न्यायालय के जजों ने खिलाफ फैसला किया, पीपुल्स विल के खिलाफ किया और अन्त में भारत की पार्लियामेंट को उसको रद्द करके फिर भारत के संविधान में संशोधन

करना पड़ा और हिन्दुस्तान की जनता के हित में यहां कानून बने। हम समाजवाद की बात करते हैं। हमने हिन्दुस्तान के संविधान में समाजवाद की स्थापना संकल्प लिया और हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र विकासशील देश में प्रजातंत्र का दिया आज भी जल रहा है। एशिया, अफ्रीका के सैकड़ों राष्ट्रों के बीच जनतंत्र आया, लेकिन वहां जनतंत्र का गला खोंट दिया गया और फौजी तानाशाही आ गयी या राजशाही आ गयी। परन्तु हिन्दुस्तान में जनतंत्र का दिया जल रहा है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय चुनाव में कोई सुधार किया जाये, इससे मैं सहमत हूं। आप कोई चुनाव में ऐसा संशोधन कीजिए कि इसमें मनी-पावर का इस्तेमाल कम हो, इसमें सारी पार्टियों के लोग चुनाव लड़ें, मान्यता-प्राप्त पार्टियों के ही लोग चुनाव लड़ें, वह चुनाव में भाग लें, सरकारी पार्टी का, जो उनका मिनिमम एक्सपेन्सेस है, उसको देने की बात करें। यह चुनाव सुधारक बातें हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी एक कानून बनाने चली थी। इनके इलेक्शन मैनीफेस्टों में भी था कि हम पावर में आने के बाद एण्टी-डिफेक्शन बिल लाएंगे और कानून बनाएंगे। लेकिन जब पावर में आ गए तो एंटी-डिफेक्शन का कानून नहीं बनाया मोरार जी देसाई जी ने जरूर एण्टी-डिफेक्शन बिल सदन में पेश किया और वह चरमरा गया, पास नहीं हो सका। आपको बधाई देनी चाहिए इस बात के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी श्री गांधी को कि सत्ता में आते ही दल-बदल का कानून बनाया और भारत की राजनीति में एक पवित्रता, एक राजनीतिक पवित्रता लाने का काम किया। भारत की करोड़ों करोड़ जनता राजीव गांधी जी को इस काम के लिए बधाई देती हैं। आपने कौनसा काम किया तीन सालों के अन्दर ? . . . (व्यवधान) . . .

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता, इस पार्टी में वीरेन्द्र वर्मा जी जैसे ईमानदार आदमी भी बैठे हैं. . . (व्यवधान) . . .

एक माननीय सदस्य : हमारी तरफ से हो गये हैं वे।

श्री कल्पनाथ राय : कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर यह कहते कि चुनाव आयुक्त के लिए विधान में इस बात को लाएं कि चुनाव आयुक्त जो हो, वह विरोधी पार्टी के वीरेन्द्र वर्मा जैसा व्यक्ति बना दिया जाये, तो हम सहमत हो जाते। लेकिन यह जज को बना दिया जाये, इसके लिए हम सहमत क्यों होंगे ? मैं तो कहूंगा, जो माननीय सदस्य यह विधेयक लाए हैं, वे इसके लिए माफी मांगे सदन के अन्दर कि आपने इतना बड़ा पाप क्यों किया है या इतनी बड़ी गलत बात बिल में क्यों आई?

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्पेशल प्रोवीजन भारत की संविधान सभा में डा० अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, महान अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में यह बनाया कि I quote

5 P.M.

"(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).

(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commis-

[Shri Kalpnath Rai]

sioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament be made by the President.

(3) When any other Election Commissioner is so appointed, the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Commission.

(4) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he/she may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the Commission by clause(I).

(5) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine:..."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): You can speak on the next occasion. Now, we take up further discussion on the Delhi Apartment Ownership Bill, 1986. Shri B. Satyanarayan Reddy.

THE DELHI APARTMENT OWNERSHIP BILL, 1986—(Contd.)

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Delhi Apartment Ownership Bill, 1986, is very important. By this Bill, it has been provided to give ownership rights to those who have no such rights earlier. The housing problem is very acute in all big cities like Bombay, Madras, Calcutta and Delhi and people are facing difficulties. Especially the ordinary people, the poor people, the lower income group cannot afford to build their own houses if plots are allotted. Of course, men having sufficient resources and more at their disposal can build their own houses and bungalows. Nowadays, the construction material is very costly and at the same time, the population, especially in big cities and Delhi, is increasing day by day. Previously we have seen that the Delhi Development Authority used to allot some plots of land to individuals and the ordinary people cannot build houses on their own. We have seen that nowadays they are building housing societies. Also there are a number of colonies which have come up unauthorisedly. I do not know. Some of the colonies have been regularised by the Government. But I do not know how many unauthorised colonies are still there which are to be regularised. At the same time, slums are coming up. These problems are to be solved. Even multi-storeyed buildings are coming up. So, the Government must have a clear plan to solve this housing problem. Of course, in this Delhi Apartment Ownership Bill, 1986, it has been stated in Section 6:

"Where any allotment sale or other transfer of any apartment has been made, whether before or after the commencement of this Act, in pursuance of any promise of payment, or part payment, of the consideration thereof, the allottee or transferee, as the case may be, shall not become entitled to the ownership and possession of that apartment or to a percentage of undivided interest in the common areas and facilities apputenant to such apartment, until payment has been made of the consideration thereof with interest, if any due thereon etc."

The ownership and transfer and heritable rights have been given to those to whom these apartments are allotted. Of course, under this Section, with certain conditions the ownership and heritable rights have been given to the allottees. But the difficulty comes here. In a housing society or in multi-storeyed buildings, there are a number of owners in the same building, and there are persons having the ownership rights in the third storey or the fourth storey, and there are persons having ownership rights on the ground floor. I do not know how this provision will apply and protect to each of these people. That has not been clearly stated in the Bill. If a